रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277782
CG-DL-E-07112026-277782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5822] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5822] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6054(अ).— - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के **बालाघाट** जिले में **NH-543K** के कि.मी. **0+000** से **51+300** कि.मी. **(गर्रा-वारासिवनी तुमसर से एमएच-सीमा मार्ग)** तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी, वारासिवनी को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के **बालाघाट** जिले में **NH-543K** के कि.मी. **7+700** से **51+300** कि.मी. **(गर्रा-वारासिवनी तुमसर से एमएच-सीमा मार्ग)** तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: बालाघाट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: खैरलांजी					
गांव का नाम: मोवाड					
1	209/7	सरकारी	असिंचित	0.0292 (हेक्टेयर)	0.0292
2	211/2	निजी	सिंचित	0.0199 (हेक्टेयर)	0.0199
3	212/1	निजी	सिंचित	0.0262 (हेक्टेयर)	0.0262
4	221/2	निजी	सिंचित	0.0974 (हेक्टेयर)	0.0974
5	223	निजी	सिंचित	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
6	228/1	निजी	सिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
7	229/1	निजी	सिंचित	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
8	229/2	निजी	सिंचित	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
9	229/3	निजी	सिंचित	0.0132 (हेक्टेयर)	0.0132
10	230	निजी	सिंचित	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
11	231/2	निजी	सिंचित	0.327 (हेक्टेयर)	0.327
12	233/4	निजी	सिंचित	0.0113 (हेक्टेयर)	0.0113
13	237/5	निजी	सिंचित	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
14	238/1	निजी	सिंचित	0.0732 (हेक्टेयर)	0.0732
15	238/3	निजी	सिंचित	0.0914 (हेक्टेयर)	0.0914
16	238/4	निजी	सिंचित	0.0884 (हेक्टेयर)	0.0884
17	238/5	निजी	सिंचित	0.0644 (हेक्टेयर)	0.0644
18	239	सरकारी	सड़क	0.0573 (हेक्टेयर)	0.0573
19	240	निजी	सिंचित	0.3486 (हेक्टेयर)	0.3486
20	243	निजी	सिंचित	0.0078 (हेक्टेयर)	0.0078
21	243/1/1	निजी	सिंचित	0.1359 (हेक्टेयर)	0.1359
22	306/2	निजी	सिंचित	0.0194 (हेक्टेयर)	0.0194
23	307/1	निजी	सिंचित	0.0158 (हेक्टेयर)	0.0158
24	307/2	निजी	सिंचित	0.0343 (हेक्टेयर)	0.0343
25	307/3	निजी	सिंचित	0.0575 (हेक्टेयर)	0.0575
26	307/4	निजी	सिंचित	0.0943 (हेक्टेयर)	0.0943
27	307/5	निजी	सिंचित	0.0766 (हेक्टेयर)	0.0766

28	308	निजी	सिंचित	0.01545 (हेक्टेयर)	0.01545
29	309	निजी	सिंचित	0.01545 (हेक्टेयर)	0.01545
30	311	निजी	सिंचित	0.00252 (हेक्टेयर)	0.00252
31	312	निजी	सिंचित	0.00252 (हेक्टेयर)	0.00252
32	313	निजी	सिंचित	0.00252 (हेक्टेयर)	0.00252
33	314	निजी	सिंचित	0.00252 (हेक्टेयर)	0.00252
34	326	निजी	सिंचित	0.1813 (हेक्टेयर)	0.1813
35	327	निजी	सिंचित	0.11945 (हेक्टेयर)	0.11945
36	328	निजी	सिंचित	0.0342 (हेक्टेयर)	0.0342
37	329/2	निजी	सिंचित	0.5473 (हेक्टेयर)	0.5473
38	342/2	निजी	सिंचित	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
39	343/1	निजी	सिंचित	0.0365 (हेक्टेयर)	0.0365
40	347	निजी	सिंचित	0.0947 (हेक्टेयर)	0.0947
41	347/1	निजी	सिंचित	0.0795 (हेक्टेयर)	0.0795
42	348	निजी	सिंचित	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
43	349	निजी	सिंचित	0.0552 (हेक्टेयर)	0.0552
44	352	निजी	सिंचित	0.2206 (हेक्टेयर)	0.2206
45	353	निजी	सिंचित	0.2475 (हेक्टेयर)	0.2475
46	354	निजी	सिंचित	0.0204 (हेक्टेयर)	0.0204
गांव का नाम: किन्ही					
47	344	निजी	सिंचित	0.0137 (हेक्टेयर)	0.0137
48	345	निजी	सिंचित	0.1173 (हेक्टेयर)	0.1173
49	349	निजी	सिंचित	0.1539 (हेक्टेयर)	0.1539
50	365	निजी	सिंचित	0.0358 (हेक्टेयर)	0.0358
51	450	निजी	सिंचित	0.1977 (हेक्टेयर)	0.1977
52	451	निजी	सिंचित	0.0832 (हेक्टेयर)	0.0832
53	454	सरकारी	नाला	0.0589 (हेक्टेयर)	0.0589
गांव का नाम: भौरगढ़					
54	106	निजी	सिंचित	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
55	108	निजी	सिंचित	0.1348 (हेक्टेयर)	0.1348
56	109	निजी	सिंचित	0.2029 (हेक्टेयर)	0.2029
57	119	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
58	120	निजी	सिंचित	0.1523 (हेक्टेयर)	0.1523
59	121	निजी	सिंचित	0.2648 (हेक्टेयर)	0.2648
60	123	निजी	सिंचित	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
61	124	निजी	सिंचित	0.0478 (हेक्टेयर)	0.0478
				Total	**5.01113**

[फा. सं. CE-ROBPL/30010/117/26-27/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6054(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of **NH-543K** in the stretch of land from Km. **0+000** to **51+300** Km. in **(Garra-Waraseoni-Tumsar MH-Border Road)** in the district of **BALAGHAT** in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Waraseoni in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling **NH-543K** in the stretch of land from Km. **7+700** to **51+300** Km. in **(Garra-Waraseoni-Tumsar MH-Border Road)** in the district of **BALAGHAT,** in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			**District: BALAGHAT**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Khairlanji					
Village: Mowad					
1	209/7	Government	Non Irrigated	0.0292 (Hectare)	0.0292
2	211/2	Private	Irrigated	0.0199 (Hectare)	0.0199
3	212/1	Private	Irrigated	0.0262 (Hectare)	0.0262
4	221/2	Private	Irrigated	0.0974 (Hectare)	0.0974
5	223	Private	Irrigated	0.0125 (Hectare)	0.0125
6	228/1	Private	Irrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015
7	229/1	Private	Irrigated	0.0179 (Hectare)	0.0179
8	229/2	Private	Irrigated	0.0064 (Hectare)	0.0064
9	229/3	Private	Irrigated	0.0132 (Hectare)	0.0132
10	230	Private	Irrigated	0.0102 (Hectare)	0.0102
11	231/2	Private	Irrigated	0.327 (Hectare)	0.327
12	233/4	Private	Irrigated	0.0113 (Hectare)	0.0113
13	237/5	Private	Irrigated	0.0308 (Hectare)	0.0308
14	238/1	Private	Irrigated	0.0732 (Hectare)	0.0732
15	238/3	Private	Irrigated	0.0914 (Hectare)	0.0914
16	238/4	Private	Irrigated	0.0884 (Hectare)	0.0884
17	238/5	Private	Irrigated	0.0644 (Hectare)	0.0644
18	239	Government	Road	0.0573 (Hectare)	0.0573
19	240	Private	Irrigated	0.3486 (Hectare)	0.3486
20	243	Private	Irrigated	0.0078 (Hectare)	0.0078

21	243/1/1	Private	Irrigated	0.1359 (Hectare)	0.1359
22	306/2	Private	Irrigated	0.0194 (Hectare)	0.0194
23	307/1	Private	Irrigated	0.0158 (Hectare)	0.0158
24	307/2	Private	Irrigated	0.0343 (Hectare)	0.0343
25	307/3	Private	Irrigated	0.0575 (Hectare)	0.0575
26	307/4	Private	Irrigated	0.0943 (Hectare)	0.0943
27	307/5	Private	Irrigated	0.0766 (Hectare)	0.0766
28	308	Private	Irrigated	0.01545 (Hectare)	0.01545
29	309	Private	Irrigated	0.01545 (Hectare)	0.01545
30	311	Private	Irrigated	0.00252 (Hectare)	0.00252
31	312	Private	Irrigated	0.00252 (Hectare)	0.00252
32	313	Private	Irrigated	0.00252 (Hectare)	0.00252
33	314	Private	Irrigated	0.00252 (Hectare)	0.00252
34	326	Private	Irrigated	0.1813 (Hectare)	0.1813
35	327	Private	Irrigated	0.11945 (Hectare)	0.11945
36	328	Private	Irrigated	0.0342 (Hectare)	0.0342
37	329/2	Private	Irrigated	0.5473 (Hectare)	0.5473
38	342/2	Private	Irrigated	0.0021 (Hectare)	0.0021
39	343/1	Private	Irrigated	0.0365 (Hectare)	0.0365
40	347	Private	Irrigated	0.0947 (Hectare)	0.0947
41	347/1	Private	Irrigated	0.0795 (Hectare)	0.0795
42	348	Private	Irrigated	0.084 (Hectare)	0.084
43	349	Private	Irrigated	0.0552 (Hectare)	0.0552
44	352	Private	Irrigated	0.2206 (Hectare)	0.2206
45	353	Private	Irrigated	0.2475 (Hectare)	0.2475
46	354	Private	Irrigated	0.0204 (Hectare)	0.0204
Village: Kinhi					
47	344	Private	Irrigated	0.0137 (Hectare)	0.0137
48	345	Private	Irrigated	0.1173 (Hectare)	0.1173
49	349	Private	Irrigated	0.1539 (Hectare)	0.1539
50	365	Private	Irrigated	0.0358 (Hectare)	0.0358
51	450	Private	Irrigated	0.1977 (Hectare)	0.1977
52	451	Private	Irrigated	0.0832 (Hectare)	0.0832
53	454	Government	Nala	0.0589 (Hectare)	0.0589
Village: Bhourgarh					
54	106	Private	Irrigated	0.0048 (Hectare)	0.0048
55	108	Private	Irrigated	0.1348 (Hectare)	0.1348
56	109	Private	Irrigated	0.2029 (Hectare)	0.2029
57	119	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
58	120	Private	Irrigated	0.1523 (Hectare)	0.1523
59	121	Private	Irrigated	0.2648 (Hectare)	0.2648
60	123	Private	Irrigated	0.0011 (Hectare)	0.0011
61	124	Private	Irrigated	0.0478 (Hectare)	0.0478
				Total	**5.01113**

[F. No. CE-ROBPL/30010/117/26-27/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.07 11:11:43 +05'30'